



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 1539 सन् 2026

ओंकार

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....उत्तरदातागण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अनामिका सिंह, जितेंद्र पाल सिंह, प्रदीप कुमार सिंह

उत्तरदातागण के अधिवक्ता : सी.एस.सी., शेर बहादुर सिंह

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया,

1. इस न्यायालय द्वारा दिनांक 29.01.2026 को पारित आदेश के अनुसार, याचिकाकर्ता ने न्यायालय के समक्ष 50,000/- रुपये का बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत किया।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता आवश्यक राशि जमा करने के लिए तैयार और इच्छुक है, लेकिन कुछ समय दिया जाए।
3. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
4. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, वर्तमान याचिका का निस्तारण किया जाता है और याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह उपरोक्त बैंक ड्राफ्ट दस दिनों की अवधि के भीतर

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



उत्तरदाता संख्या 2/जिला अधिकारी, पीलीभीत के समक्ष जमा करे, साथ ही इस आदेश की प्रमाणित प्रति और वर्तमान याचिका में मांगी गई राहत की मांग करने वाला एक अभ्यावेदन भी आज से दो सप्ताह की अवधि के भीतर प्रस्तुत करे। यदि याचिकाकर्ता ऐसा करता है, तो उत्तरदाता संख्या 2 इस मामले में विधि के अनुसार उचित आदेश शीघ्रता से पारित करेगा।

(न्यायमूर्ति प्रकाश जाड़िया,)

फ़रवरी 9, 2026

सकलेन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"